

01.08.2022:— आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया गया। वादी सुखप्रीत सिंह जरिये अधिवक्ता खुशप्रीत सिंह सन्धू द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी वादपत्र को आगे नहीं चलाना चाहती। वादपत्र पेशी में लिया जाकर विद्वां फरमाया जावे। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगूठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह सन्धू द्वारा की गई। वादी का उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

